मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ४ सन् २०२०

मध्यप्रदेश श्रम विधि (संशोधन) विधेयक, २०२०

मध्यप्रदेश औद्योगिक नियोजन (स्थाई आदेश) अधिनियम, १९६१ तथा मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम, १९८२ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश श्रम विधि (संशोधन) अधिनियम, २०२० है.

(२) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

भाग—एक

मध्यप्रदेश औद्योगिक नियोजन (स्थाई आदेश) अधिनियम, १९६१ (क्रमांक २६ सन् १९६१) का संशोधन

मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक २६ सन् १९६१ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश औद्योगिक नियोजन (स्थाई आदेश) अधिनियम, १९६१ (क्रमांक २६ सन् १९६१) में, धारा २ की उपधारा (१) के खण्ड (क) में, शब्द ''पचास से अधिक'' के स्थान पर, शब्द ''एक सौ से अधिक'' स्थापित किए जाएं.

भाग—दो

मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम, १९८२ (क्रमांक ३६ सन् १९८३) का संशोधन

मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक ३६ सन् १९८३ का संशोधन.

३. मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम, १९८२ (क्रमांक ३६ सन् १९८३) में धारा २८ की उपधारा (२) के पश्चात्,निम्नलिखित उपधारा जोड़ी जाए, अर्थात्:—

''(३) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, किसी स्थापना को या स्थापनों के किन्हीं वर्गों को इस अधिनियम के समस्त या किन्हीं उपबन्धों से छूट, ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए दे सकेगी जैसी कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं.''.

निरसन तथा व्यावृत्ति.

४. (१) मध्यप्रदेश श्रम विधि (संशोधन) अध्यादेश, २०२० (क्रमांक ५ सन् २०२०) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है.

(२) उक्त अध्यादेश के निरसित होते हुए भी उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कार्रवाई या की गई कोई बात, उक्त अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई कार्रवाई या की गई बात समझी जाएगी.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह विधेयक निम्नलिखित कारणों से सृजित समस्याओं को हल करने के उद्देश्य से कतिपय श्रम विधियों में संशोधन करने हेतु प्रस्तावित किया जा रहा है.

कोविड-१९ वैश्विक महामारी के कारण राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन ने मध्यप्रदेश में औद्योगिक और वाणिज्यिक गतिविधियों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है. वैश्विक महामारी के कारण उद्योग और वाणिज्य बड़े आर्थिक नुकसान का सामना कर रहे हैं और इस परिस्थिति में लाखों श्रमिक बेरोजगार हो गए हैं. अतएव, राज्य में नए कारखानों और उद्योगों को स्थापित करने तथा पहले से स्थापित कारखानों और उद्योगों के और विस्तार के लिए, उन्हें आमंत्रित कर, कारखानों, उद्योगों तथा वाणिज्य के पक्ष में और अधिक श्रम सुधारों को निष्पादित करने का विनिश्चय किया गया है जिससे उन्हें समस्या का सामना करने के लिए राज्य में अधिकतम रोजगार सृजित करने के लिए सशक्त किया जा सके.

२. मध्यप्रदेश औद्योगिक नियोजन (स्थाई आदेश) अधिनियम, १९६१ की धारा २ की उपधारा (१) के खण्ड (क) में नियोजित कामगारों की संख्या अनुसार प्रयोज्यता से संबंधित प्रावधान उपबंधित हैं. इस अधिनियम की प्रयोज्यता के लिए ५० कामगार से अधिक की इस सीमा को १०० कामगार से अधिक तक बढ़ाए जाने का विनिश्चय किया गया है, जिससे ऐसी स्थापनाओं के लिये प्रक्रिया के सरलीकरण को दृष्टिगत रखते हुए, इस अधिनियम के कार्यक्षेत्र से १०० कामगारों से कम व्यक्तियों को नियोजित करने वाली सूक्ष्म, लघु और मध्यम श्रेणी की स्थापनाओं को छूट प्रदान की जा सके. परिणामस्वरूप, सूक्ष्म, लघु और मध्यम श्रेणी के उद्योग राज्य में अधिक निवेश के लिए प्रोत्साहित होंगे, जिससे रोजगार के अवसर सृजित होंगे.

३. वर्तमान में, मध्यप्रदेश श्रम कल्याण अधिनियम, १९८२ की धारा २८ की उपधारा (१) केवल ऐसी स्थापनाओं को छूट देता है जो ''सूक्ष्म उद्योगों'' के रूप में वर्गीकृत हों. राज्य सरकार को अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के कार्यक्षेत्र से किसी स्थापना को छूट देने हेतु प्राधिकृत करने के लिए इस धारा में उपधारा (३) जोड़ने का विनिश्चय किया गया है. जिससे राज्य इस अधिनियम के अधीन उपबंधों, प्रक्रियाओं तथा अंशदान से छूट प्रदान करने का निर्णय ले सके, परिणामस्वरूप ऐसे उद्योग राज्य में अधिक निवेश के लिए प्रोत्साहित होंगे, जिससे रोजगार के अवसर सृजित होंगे.

४. चूंकि मामला अत्यावश्यक था तथा विधान सभा का सत्र चालू नहीं था. अतएव, मध्यप्रदेश श्रम विधि (संशोधन) अध्यादेश, २०२० (क्रमांक ५ सन् २०२०) इस प्रयोजन के लिए प्रख्यापित किया गया था. अब उक्त अध्यादेश के स्थान पर, राज्य विधान-मण्डल का अधिनियम बिना उपांतरण के लाया जाना प्रस्तावित है.

५. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख ७ सितम्बर, २०२०.

ब्रजेन्द्र प्रताप सिंह
भारसाधक सदस्य.

प्रत्यायोजित विधि निर्माण के संबंध में ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक के खण्ड-३ द्वारा सूक्ष्म उद्योग या सूक्ष्म उद्योगों के किन्हीं वर्गों को अधिनियम के समस्त या किन्ही उपबंधों से छूट दिये जाने के संबंध में आवश्यक शर्तें अधिसूचना द्वारा विनिदिष्ट किये जाने के संबंध में विधायनी शक्तियां राज्य सरकार को प्रत्यायोजित की जा रही है. जो सामान्य स्वरूप की होगीं.

अध्यादेश के संबंध में विवरण

कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन से प्रदेश के औद्योगिक और वाणिज्यिक गतिविधियां प्रतिकूल रही हैं, जिससे लाखों श्रमिक बेरोजगार हो गए हैं. इस दृष्टि से राज्य में नए कारखानों और उद्योगों को स्थापित करने तथा पहले से स्थापित कारखानों और उद्योगों के और विस्तार के लिए, उन्हें आमंत्रिक कर, कारखानों, उद्योगों तथा वाणिज्य के लिए और अधिक श्रम सुधारों को निष्पादित करने का विनिश्चय किया गया है जिससे बेरोजगारी की समस्या का सामना करने के लिए राज्य में अधिकतम रोजगार सृजित किये जा सकें. इसी प्रकार मध्यप्रदेश औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, १९६१ के अन्तर्गत नियोजित कामगारों की संख्या की प्रयोज्यता के लिए ५० कामगारों से अधिक की सीमा को १०० कामगारों से अधिक तक बढ़ाया जा सके, जिससे ऐसी स्थापनाओं के लिए प्रक्रिया के सरलीकरण को दृष्टिगत रखते हुए इस अधिनियम के कार्यक्षेत्र से १०० कामगारों से कम व्यक्तियों को नियोजित करने वाली सूक्ष्म, लघु और मध्यम् श्रेणी की स्थापनाओं को छूट प्रदान की जा सके. अतः अतः तात्कालिक आवश्यकता को देखते हुए उक्त दोनों अधिनियमों में संशोधन किया जाना आवश्यक हो गया था.

चूंकि मामला अत्यावश्यक था तथा विधान सभा का सत्र चालू नहीं था, अतएव, मध्यप्रदेश श्रम विधि (संशोधन) अध्यादेश, २०२० (क्रमांक ५ सन् २०२०) इस प्रयोजन के लिए प्रख्यापित किया गया था.

ए. पी. सिंह,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

उपाबंध

मध्यप्रदेश औद्योगिक नियोजन (स्थाई आदेश) अधिनियम, १९६१ (क्रमांक २६ सन् १९६१) एवं मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम, १९८२ (क्रमांक ३६ सन् १९८३) से उद्धरण.

* * * * *

मध्यप्रदेश औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, १९६१

* * * * *

धारा २. (१) यह अधिनियम—

(क) प्रत्येक ऐसे उपक्रम को लागू होगा जिसमें कि कर्मचारियों की संख्या पूर्ववर्ती बारह मास के दौरान किसी भी दिन या इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के दिन अथवा उसके पश्चात् किसी भी दिन पचास से अधिक थी या है, और

* * * * *

मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम, १९८२

धारा २८. (१) इस अधिनियम में की कोई भी बात, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, २००६ (२००६ का २७) के अधीन सूक्ष्म उद्योग के रूप में वर्गीकृत किसी स्थापना या औद्योगिक सत्ता को लागू नहीं होगी.

(२) उपधारा (१) के उपबंधों के होते हुए भी, राज्य सरकार, यदि उसका समाधान हो जाता है कि कर्मकारों के हित में ऐसा करना आवश्यक है, किसी सूक्ष्म उद्योग या सूक्ष्म उद्योगों के वर्ग को प्रदान की गई कोई छूट, आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से वापस ले सकेगी.

* * * * *

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश विधान सभा.